संख्या-287/2016/2103/22-2-2016-17(428)/2009

प्रेषक,

सत्येन्द्र कुमार सिंह,

विशेष सचिव

उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ दिनांक 19 दिसम्बर, 2016***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी शिवसिंह पुत्र श्री लाखनसिंह, निवासी जनपद-बरेली की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-38309/प्रोबेशन-3 (एम-13-10-2016) दिनांक-26-10-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र दिनांक 26-10-2016 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी शिवसिंह पुत्र श्री लाखनसिंह, ग्राम भसोकर, थाना-फरीदपुर, जनपद-बरेली का निवासी है। दोनों पक्षों के मध्य भूमि विवाद को लेकर चल रही मुकदमेंबाजी की रंजिश में बन्दी ने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 25-09-1978 को अपरान्ह 02-30 बजे लाठी एवं बन्दूक से गोली मारकर छोटे सिंह नामक व्यक्ति की हत्या की। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-472/1978 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302/34 मा0 अष्टम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बरेली द्वारा दिनांक 10-03-1980 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा सत्र न्यायालय के निर्णय को यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 12.04.2016 तक 18 वर्ष 08 माह 18 दिन की अपरिहार तथा 24 वर्ष 10 माह 28 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण सन्तोषजनक है। जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने अपनी आख्या में अंकित किया है कि बन्दी द्वारा भविष्य में पुन: अपराध करने की सम्भावना होने, पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने, कारागार में आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने एवं परिवार की सामाजिक/आर्थिक दशा रिहाई हेतु नहीं है, बताते हुए बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। जिला मजिस्ट्रेट, बरेली ने जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक की आख्या के दृष्टिगत बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड ने अंकित किया है कि बन्दी ने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाठी एवं बन्दूक से गोली मारकर छोटे सिंह नामक व्यक्ति की हत्या कर जघन्य अपराध कारित किया है। बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी शिवसिंह पुत्र श्री लाखनसिंह, निवासी जनपद-बरेली को प्रोबेशन पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी शिवसिंह (बन्दी संख्या-33643) पुत्र श्री लाखनसिंह, निवासी जनपद-बरेली के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-287/2016/2103(1)/22-2-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-बरेली।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।

3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्ंया-287/2016/2103@22-2-2016-17(428)/2009

दिनांक 19 दिसम्बर, 2016 का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी शिवसिंह (बन्दी संख्या-14326) पुत्र श्री लाखनसिंह, निवासी ग्राम भसोकर, थाना-फरीदपुर, जनपद-बरेली का निवासी है। दोनों पक्षों के मध्य भूमि विवाद को लेकर चल रही मुकदमेंबाजी की रंजिश में बन्दी ने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 25-09-1978 को अपरान्ह 02-30 बजे लाठी एवं बन्दूक से गोली मारकर छोटे सिंह नामक व्यक्ति की हत्या की। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-472/1978 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302/34 मा0 अष्टम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बरेली द्वारा दिनांक 10-03-1980 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा सत्र न्यायालय के निर्णय को यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 12.04.2016 तक 18 वर्ष 08 माह 18 दिन की अपरिहार तथा 24 वर्ष 10 माह 28 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण सन्तोषजनक है। जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने अपनी आख्या में अंकित किया है कि बन्दी द्वारा भविष्य में पुन: अपराध करने की सम्भावना होने, पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने, कारागार में आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने एवं परिवार की सामाजिक/आर्थिक दशा रिहाई हेतु नहीं है, बताते हुए बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। जिला मजिस्ट्रेट, बरेली ने जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक की आख्या के दृष्टिगत बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड ने अंकित किया है कि बन्दी ने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाठी एवं बन्दूक से गोली मारकर छोटे सिंह नामक व्यक्ति की हत्या कर जघन्य अपराध कारित किया है। बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्वदोष बन्दी शिवसिंह पुत्र श्री लाखनसिंह, निवासी जनपद-बरेली को प्रोबेशन पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई **अस्वीकार** किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।